भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 198

(जिसका उत्तर मंगलवार, 25 नवम्बर, 2014 को दिया गया)

<u>नए लेखांकन मानकों का क्रियान्वयन</u>

198. श्रीमती वानसुक साइम :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए भारतीय लेखांकन मानकों को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए किसी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है जिसे बाद में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के साथ अभिसारित किया जा सके;

(ख) क्या नए लेखांकन मानक 500 करोड़ रुपए या अधिक के निवल मूल्य वाली सभी सूचीबद्ध तथा गैर-सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होंगे; और

(ग) क्या बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा बीमा कंपनियों द्वारा एक अलग रूपरेखा बनाई जानी अपेक्षित है जिसे बाद में उनके क्षेत्रीय विनियमों द्वारा उजागर किया जाएगा?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ग) : बजट भाषण 2014-15 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आई.एफ.आर.एस.) पर आधारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) वित्तीय वर्ष 2015-16 से स्वैच्छिक रूप से और वित्तीय वर्ष 2016-17 से अनिवार्य रूप से अपनाए जाने हेतु अधिसूचित किए जाएंगे। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनियों को भी बाद में इन मानकों के दायरे में लाया जा सकता है। कंपनियों की श्रेणी, जिनपर ये मानक लागू होंगे, को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इन्हें भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एएस) के साथ अधिसूचित किया जाएगा।

*****